न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 01/2021

अपीलाण्ट

1. हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम गहलोत जाति माली, निवासी खेमे का कुंआ, पाल रोड़, तहसील व जिला जोधपुर
2. मदन पुत्र स्व0 भंवरलाल माली निवासी भादरिया बेरा, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
3. किशन पुत्र भंवरलाल माली निवासी भादरिया बेरा, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
4. पतासी देवी पत्नी स्व0 प्रेमजी माली, निवासी भादरिया बेरा, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर

आपत्तिकर्त्ता –

2. यासिन खॉ पुत्र इमामुदीन जाति सिंधी मुस्लमान, निवासी मकान नम्बर 623/23 सिंधियों का बास, सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर
3. देवाराम पुत्र सीताराम माली निवासी भादरवा बेरा, ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर
4. अशोक पुत्र मगाराम माली निवासी भादरवा बेरा, ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर
5. देवाराम पुत्र धन्नाराम माली निवासी भादरवा बेरा, ग्राम गेंवा, तहसील व जिला जोधपुर
6. हरप्यारी उर्फ हरिया देवी पत्नी देवाराम माली, निवासी भादरवा बेरा, ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर
7. चम्पालाल पुत्र धन्नाराम माली निवासी भादरवा बेरा, ग्राम गेंवा तहसील व जिला जोधपुर
8. सायर कंवर पत्नी चम्पालाल माली, निवासी भादरवा बेरा, ग्राम गेंवा, तहसील व जिला जोधपुर
9. शान्तिलाल पुत्र चम्पालाल कर्नावट जाति ओसवाल, निवासी III Sunpower, Opp. G,D Somani School, Kaf Parade Kloaba Mumbai (Marasthtra)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर प्रकरण सं0 37/2019 दिनांक 08.12.2020 बअनवान हरिसिंह व अन्य बनाम जो कोई हो

उपस्थित–

1. श्री प्रफुल गहलोत, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1
3. श्री अजय कुमार आचार्य, वकील रेस्पो0सं0 2

4. श्री अक्षय कुमार दवे, वकील रेस्पो0 सं0 3 व 4
5. श्री रविन्द्र कुमार पुरोहित, वकील रेस्पो0सं0 9

निर्णय

दिनांक .01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण संख्या 37/2019 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट–प्रार्थी–हरिसिंह वगैरा ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के समक्ष दिनांक 15.11.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गेंवा के खसरा नं0 867/1 व 867/7 कुल रकबा 140.00 बीघा सह–खातेदारी भूमि में भंवरलाल पुत्र ईश्वरजी माली सा.देह की 1/4 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि का अपंजीकृत वसीयतनामा (नोटेरी) दिनांक 20.05.2005 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आग्रह किया गया। जो दर्ज रजिस्टर कर हल्का पटवारी से मौका एवं राजस्व रेकर्ड तथा वसीयत बाबत रिपोर्ट तलब की गई तथा वसीयतनामा में दर्ज गवाह के बयान हेतु नोटिस जारी कर, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 09.07.2020 को सार्वजनिक/आम सूचना प्रकाशित कर, एतराज/आपत्ति आंमत्रित की गई। प्रकरण में रेस्पो0सं0 2 से 8–यासीनखां, देवाराम, अशोक, देवाराम, हरप्यारी, चम्पालाल, सायरकंवर व शांतिलाल कर्णावट ने जरिये अधिवक्ता आपत्तियां पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2020 द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने तथा जमाबंदी में उक्त खसरों में स्थगन का नोट अंकित होने व वसीयत काफी पुरानी होने से प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस तथा धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि–

1. ग्राम गेंवा के ख0नं0 867/1 रकबा 70 बीघा पूर्व में धन्नाराम व ईसरजी वल्द गंगाराम, लिक्ष्मण पुत्र चतुरा, भूराराम, तारू, रामा के खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें धन्नाराम व ईसर पुत्र गंगाराम का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की 35 बीघा भूमि थी तथा 1/2 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि लिक्ष्मण पुत्र चतुरा व अन्य की थी।
2. इसी प्रकार ग्राम गेंवा के ख0नं0 867/7 रकबा 70 बीघा लिक्ष्मण पुत्र चतुरा, धन्नाराम पुत्र गंगाराम व भंवरलाल पुत्र ईसरजी की सह–खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें 1/2 हिस्सा लिक्ष्मण पुत्र चतुरा की 35 बीघा भूमि थी तथा धन्नाराम पुत्र गंगाराम व भंवरलाल पुत्र ईसरजी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की 35 बीघा भूमि थी।
3. इस प्रकार ख0नं0 867/1 व 867/7 की कुल रकवा भूमि 140 बीघा में भंवरलाल पुत्र ईसरजी का 1/4 हिस्से की 35 बीघा भूमि थी।
4. जिसे राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 08 दिनांक 15.06.1968 स्वीकृत कर, ख0नं0 867/1 व 867/7 में 1/2 हिस्सा धन्नाराम पुत्र गंगाराम एवं 1/2 हिस्सा लिक्ष्मण पुत्र चतुरा व अन्य की दर्ज की गई।
5. उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध भंवरलाल पुत्र ईसरजी द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 52/1995 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2001 द्वारा इसे स्वीकार कर, ग्राम गेंवा के ख0नं0 867/1 व 867/7 की कुल रकबा भूमि में भंवरलाल पुत्र ईसरजी का 1/4 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि होना मानते हुए उक्त नामान्तरकरण संख्या 08 निरस्त कर दिया गया।
6. जिला कलेक्टर जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2001 के विरूद्ध देवाराम व चम्पालाल पुत्र धन्नाराम एवं शान्तिलाल कर्नावट द्वारा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अलग–अलग प्रस्तुत अपील संख्या 29/2001, 30/2001 व 32/2001 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 26.11.2001 द्वारा उक्त अपीलें खारिज कर, अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा गया।
7. न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 26.11.2001 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में शांतिलाल कर्नावट द्वारा प्रस्तुत निगरानी/एलआर/13/2002/जोधपुर (आईडी नम्बर 552/2002) तथा चम्पालाल द्वारा प्रस्तु निगरानी/एलआर/12/2002/जोधपुर (आईडी नम्बर 553/2002) में पारित निर्ण दिनांक 17.04.2007 द्वारा दोनो निगरानी निरस्त कर दी गई।

8. मा0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2007 के विरूद्ध शांतिलाल कनार्वट द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नम्बर 6795/2007 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 द्वारा खारिज कर दी गई तथा उक्त आदेश के विरूद्ध शांतिलाल कर्नावट द्वारा मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत डी0बी0 स्पेशल रिट संख्या 885/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2019 द्वारा खारिज कर दी गई।

9. इस प्रकार न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपील संख्या 52/1995 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2001 को यथावत् रखा गया। उक्त आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 08 स्वीकृत दिनांक 25.06.1968 को दिनांक 03.08.2001 को निरस्त करते हुए, इस अवधि में स्वीकृत सारे नामान्तरकरण निरस्त करते हुए ख0नं0 867/7 रकबा भूमि 70 बीघा लिक्ष्मण पुत्र चतुरा 1/2 हिस्सा, धन्ना पुत्र गंगा, भंवरलाल पुत्र ईसर 1/2 हिस्सा दर्ज की गई। इसी प्रकार ख0नं0 867/1 की भूमि में 1/2 हिस्सा धन्ना व ईसर पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की गई एवं उसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 425 दिनांक 06.10.2001 को स्वीकृत करते हुए ख0नं0 867/1 की भूमि में ईसर पुत्र गंगाराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र ईसरजी दर्ज किया गया।

10. इस प्रकार ख0नं0 867/1 व 867/7 की भूमि में भंवरलाल पुत्र ईसर जी का 1/4 हिस्सा यानि 35 बीघा भूमि है, जो उनके खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। भंवरलाल पुत्र ईसर का देहान्त दिनांक 30.11.2007 को हो चुका है। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 20.05.2005 को अपीलांट्स के पक्ष में इस हिस्से का निष्पादित अपंजीबद्ध वसीयतनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण हेतु अपीलांट ने तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पो0सं0 2 से 9 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप कर आपत्तियां प्रस्तुत की गई, जिनका अपीलांट्स द्वारा विस्तृत रूप से मय दस्तावेजी जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. उक्त प्रार्थना पत्र में गवाहान श्री महेन्द्र तंवर एवं दौलाराम की साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए रेस्पो0सं0 2 से 9 की आपत्तियों को आधार मानते हुए, पारित किया गया है। जबकि भंवरलाल पुत्र ईसरजी के उत्तराधिकारियों एवं विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत नही किया गया, बल्कि

उक्त वसीयतनामें को स्वीकार किया गया है। जिस भूमि बाबत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, उसमें आपत्तिकर्ता रेस्पो0सं0 2 से 9 के हित प्रभावित नही होते है। समस्त आपत्तिकर्ता धन्नाराम पुत्र गंगाराम के उत्तराधिकारी, वारिसान व उनके हिस्से की भूमि के खरीददार है। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2020 पारित कर दिया गया।

12. अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित पेंसिल नोट मा0 राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 185/2011 में स्टे होने के कारण प्रार्थी–अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जबकि उक्त निगरानी लादूराम वगैरा बनाम चम्पालाल का निस्तारण मण्डल के आदेश दिनांक 20.01.2011 से हो चुका है एवं राजस्व अपील प्राधिकरण जोधपुर के न्यायालय की अपील संख्या 58/2010 विड्रो की जा चुकी है।

13. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर के समक्ष विचाराधीन राजस्व मूल वाद संख्या 262/2002 अनवान लादूराम बनाम बिरदाराम विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 26.02.2002 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है। उक्त वाद में अपीलांट्स के विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रार्थना नही की गई है, अपीलार्थी मात्र प्रफोर्मा अप्रार्थी है। वादग्रस्त भूमि आज भी अविभाजित है तथा जमाबंदी में भंवरलाल का नाम अन्य सह–खातेदारों के साथ दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि में विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी के नाम दर्ज ना0क0 प्रभाव शून्य है। खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नही कर सकता है। रेस्पो0 अधिवक्ताओं के अभिकथनानुसार माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका की जानकारी प्रस्तुत नही है। क्रिमिनल कोर्ट की कार्यवाहीयां सिविल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित नही करती है। प्रत्यर्थीगण/आपत्तिकर्ता बिना किसी न्यायिक अधिकार के न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया को रोकना चाहते है एवं अपीलांट्स को अपने अधिकारों से वंचित रखना चाहते है।

14. अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित कि वसीयत काफी पुरानी है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत दस रूपये जुर्माने का प्रावधान है तथा विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित होने के संबंध में आग्रह है वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है, इस आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार नही किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, वसीयतनामे के आधार पर भंवरलाल पुत्र ईसरजी के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत किए जाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया। वकील अपीलांट ने फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतिया प्रस्तुत की गई।

16. जवाब में रेस्पो0सं0 3 से 8 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई। रेस्पो0 अधिवक्ता ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यां को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम गेवा के ख0नं0 867/1 रकबा 70 बीघा एवं ख0नं0 867/7 रकवा 70 बीघा कुल रकबा भूमि 140 के पूर्व खातेदार धन्नराम तथा लिछमणजी द्वारा आपसी विभाजन कर ख0नं0 867/7 रकबा 70 बीघा लिछमणजी के हिस्से में तथा 867/1 की 70 बीघा भूमि धन्नाराम हिस्से में रखते हुए, उसी अनुरूप राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी गई। मुख्य सड़क से चिपते हिस्से पर धन्नाराम ताजिंदगी काविज रहे एवं स्वयं को प्राप्त खातेदारी अधिकारों के तहत बेचान, हस्तांतरण एवं व्ययन भी किया गया। इसी प्रकार लिछमणजी द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पौत्र देवाराम पुत्र सीताराम, अशोक पुत्र मगाराम तथा लादुराम पुत्र प्रतापजी के हक में विधिवत वसीयतनामा निष्पादित कर दिया गया, जो अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। जिसमें राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटीवश भंवरलाल के पिता ईसरजी का नाम इन्द्राज कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर धन्नाराम द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 19 के तहत वर्ष 1968 में धन्नाराम का नाम खातेदारी में दर्ज करवाया गया, जिसकी पालना में ना.क.सं. 8 अकेले धन्नाराम के नाम पारित किया गया। भंवरलाल द्वारा उक्त आदेश को चुन्नौति नही दी गई। बल्कि इसकी पालना में पारित ना0क0सं0 8 को अपील के जरिये चुन्नौति देते हुए घोषणात्मक अनुतोष हेतु एक वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निशेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें प्रभावित पक्षकारान की विधिवत तामिली के बिना आदेश पारित कर ना0क0सं0 8 को निरस्त कर दिया गया। अंततः उक्त विवाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 स्पेशल अपील में पारित निर्णय में घोषणात्मक वाद में पारित निर्णय के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने का आदेश पारित किया गया। भंवरलाल अथव ईसरजी का उक्त ख0नं0 867 की भूमि पर कभी कब्जा/हक अधिकार नही रहा

जिसे स्वयं भंवरलाल ने सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निशेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध अवमानना याचिका में अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया गया। जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण अपील में पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा मूल वाद में स्थगन आदेश के बावजूद भंवरलाल के हक में ना0क0 पारित कर दिया गया। घोषणात्मक वाद आज दिन तक लंबित है। ऐसी स्थिति में उक्त ख0नं0 867/1 में भंवरलाल का कोई हक व अधिकार नही होने से उन्हें वसीयत अथवा अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित करने का अधिकार ही नही होने से तथाकथित वसीयतनामा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। मूल राजस्व वाद में प्रतिवादीगण द्वारा भंवरलाल के नाम पारित ना0क0 को निरस्त करवाने हेतु काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निस्तारण होना शेष है, उक्त स्थिति में मृतक भंवरलाल के फौतेदगी ना0क0 का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। ख0नं0 867/1 तथा 867/7 की भूमि बाबत काबिज खातेदारों के मध्य विवाद है। लादूराम वगैरा द्वारा भी एक वाद प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा दिनांक 26.02.2002 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया गया था, जो आज दिनांक तक निरंतर जारी है। अपीलांट के पक्ष में दिनांक 20.05.2005 को अथवा अन्य दिनांक को तथाकथित वसीयत निष्पादित ही नही हुई, उक्त वसीयत पूर्णतया कूटरचित व संदेहास्पद है। हरिसिंह नामक व्यक्ति मृतक भंवरलाल का नजदीकी रिश्तेदार नही है। जहां विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में आपत्ति हो, वहां उत्तराधिकार का निस्तारण दीवानी न्यायालय द्वारा नही किए जाने तक साम्पतिक अधिकार विधि अनुसार प्रदान नही किए जा सकते है तथा प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के जीवित रहते हुए अकेले तथाकथित वसीयतग्रहिता के हक में ना0क0 पारित नही किया जा सकता है। ख0नं0 867/1 की भूमि प्रत्यर्थीगण की खरीद सुदा एवं कब्जा सुदा भूमि है, जिस पर निवेश कर विकास कार्य भी करवाये गये है। जहां वसीयतनामा संदिग्ध हो, उसकी वैधानिकता दीवानी न्यायालय द्वारा निस्तारित की जानी चाहिए। हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा वसीयतनामें को कूटरचित होने की राय प्रकट की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों का सूक्षमता से विवेचन कर, आलौच्य निर्णय पारित किया गया

है। अतः प्रस्तुत अपील विधिनुसार पोषणीय नही होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

17. रेस्पा0सं0 9 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस में उल्लेख्ति तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त अपील पूर्णतया आधारहीन है। अपीलांट–प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पो–शांतिलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। वसीयत में वर्णित कृषि भूमि का एक हिस्सा 58 बीघा भूमि रजिस्टर्ड बेचाननामा से क्रय की गई है। जिस पर आपत्तिकर्ता का कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। उक्त भूमि पवन मेहता ने पूर्व खातेदार धनाराम पुत्र स्व0 गंगाराम से दिनांक 25.07.95 को पंजीबद्ध बेचाननामा द्वारा खरीद की थी, अतः ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 व 55 के तहत वह वैध मालिक एवं कब्जाधारी है। अपीलांट–प्रार्थी तथाकथित वसीयत के आधार पर अपना दावा पेश कर रहे है, वह वसीयत निष्पादित करने का अधिकार भंवरलाल को नही था। इस तथ्य को भंवरलाल ने भी वसीयतनामा में मानते हुए यह अभिकथन किया है कि इस जमीन बाबत एक राजस्व वाद संख्या 34/4 अन्तर्गत धारा 88, 92 व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर में विचाराधीन है, जब तक इस वाद का अन्तिम निर्णय नही आ जाता, तब तक भंवरलाल का इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। अतः भंवरलाल उक्त वसीयत के जरिये इस भूमि में किसी भी व्यक्ति को अपना अधिकार हस्तांतरित नही कर सकता है। भंवरलाल द्वारा उक्त भूमि के नामान्तरकरण दिनांक 25.06.1968 के खिलाफ न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा डो.बी.सिविल स्पे. अपील सं. 855/2015 में दिये गये निर्णय के खिलाफ आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यू पिटिशन वर्तमान में विचाराधीन है। इस आधार पर अपीलांट–प्रार्थी अपने हक में नामान्तरकरण कराने के अधिकारी नही है। पंजीबद्ध बेचाननामें को भंवरलाल व उसके कायम मुकाम द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौति नही दी गई है। अपीलांट द्वारा वसीयत निष्पादित होने के 10 वर्ष बाद नामान्तरकरण का आवेदन किया गया, जो संदेहास्पद है। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष विचाराधीन वाद के निर्णय से पूर्व वसीयत कर्ता और ग्रहिता का विवादित भूमि में अधिकार उत्पन्न नही

होता है। अतः अपील खारिज करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के अनुसार प्रथमतः उक्त अपील तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसकी सुनवाई वसीयत प्रकरण में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित निर्णय तक ही सिमित है। द्वितीयतः इस मामले में वादग्रस्त भूमि में हुए पंजीबद्ध बेचान, हस्तांतरण एवं व्ययन को लेकर पक्षकारान के मध्य खातेदारी घोषणा का मूलवाद विचाराधीन होना भी प्रकट है, अतः उक्त प्रकरण मूलवाद के निर्णयोपरांत, उसमें पारित निर्णय के अध्यधीन निस्तारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पक्षकार अपने–अपने हितों का संरक्षण हेतु विचाराधीन वाद में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपंजीबद्ध वसीयत प्रकरण संख्या 37/2019 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2020 को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस मामले में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 1-1-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

1/1/26.
(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर